

प्रेषक

ममता श्रीवास्तव
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा कोन्ट-2 समुदाय कोन्ट,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर 2008

विषय:- दिल्ली प्रसिद्ध स्कूल, सेक्टर-6 जानकीपुरम, लखनऊ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने विषयक।

सहायक

उपरोक्त विषय को और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत संसाधनों का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जावेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता संदल बोर्ड आफ सेक्रेण्ट्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकजायामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।



N. K. Singh
Principal
Delhi Public School, Jankipuram

- (6) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- (8) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निगत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

3. उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पुनःसंस्था एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 4- निरीक्षक अग्न्य भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- ✓ 5- प्रधानक, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर-8 जानकीपुरम, लखनऊ।
- 8- गार्ड फ़ाइल

आज्ञा से

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।



N. K. Singh
Principal
Delhi Public School, Jankipuram